

वसिथापति बच्चों हेतु संयुक्त राष्ट्र दशानरिदेश

प्रलिमिंस के लिये:

इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM), UN चिल्ड्रन फंड (UNICEF), क्लाइमेट चेंज, चिल्ड्रन क्लाइमेट रसिक इंडेक्स, नोट्रे डेम ग्लोबल एडेप्टेशन इनशिएटिव (ND-GAIN) इंडेक्स

मेन्स के लिये:

प्रवासी बच्चों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [संयुक्त राष्ट्र](#) समर्थति एजेंसियों ने जलवायु परिवर्तन के कारण वसिथापति हुए बच्चों की सुरक्षा के लिये पहली बार वैश्विक नीति ढिँचा प्रदान करने हेतु दशान-नरिदेश जारी किये हैं।

जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर प्रभाव:

- जलवायु परिवर्तन मौजूदा पर्यावरणीय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थितियों के बीच वभाजन की स्थिति पैदा कर रहा है जो लोगों के स्थानांतरति होने का नरिणय लेने में योगदान दे रहा है।
 - आने वाले वर्षों में लाखों और बच्चों को स्थानांतरति होने के लिये मजबूर कयि जा सकता है।
- **अकेले वर्ष 2020 में मौसम संबंधी प्रभावों के बाद लगभग 10 मिलियन बच्चे वसिथापति हो गए।**
- इसके अतरिकित दुनिया के 2.2 बलियिन बच्चों में से लगभग आधे या लगभग एक बलियिन लड़के और लड़कियाँ 33 देशों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के उच्च जोखमि में रहते हैं।
- इसके अलावा चरम जलवायु जैसे बढ़ते समुद्र के स्तर, तूफान, वनागना, खराब फसलें अधिक-से-अधिक बच्चों और परवारों को अपने घरों से दूर कर रही हैं।
 - दुनिया भर में प्रवासी बच्चे [जेनोफोबिया](#) के खतरनाक स्तर, कोवडि -19 महामारी के सामाजिक आर्थिक परिणामों और आवश्यक सेवाओं तक सीमति पहुँच का सामना कर रहे हैं।
 - वसिथापति बच्चों को **दुर्व्यवहार, तस्करी और शोषण का अधिक खतरा होता है।**
 - उनकी शकषा और स्वास्थय सेवा तक पहुँच खोने की अधिक संभावना है तथा उन्हें अक्सर जल्दी शादी एवं बाल श्रम के लिये मजबूर कयि जाता है।

वसिथापति बच्चों हेतु संयुक्त राष्ट्र के दशान-नरिदेश:

- ये दशान-नरिदेश [प्रवासन हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन \(IOM\)](#), [संयुक्त राष्ट्र बाल कोष \(UNICEF\)](#), जॉरज टाउन विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की एक संयुक्त पहल है।
 - दशान-नरिदेश आंतरिक और साथ ही सीमा पार प्रवास दोनों को कवर करते हैं।
- इसमें नौ सदिधांतों का एक समूह है जो उन बच्चों की अनूठी कमजोरियों को संबोधति करता है जिन्हें समाप्त कर दयि गया है।
 - सदिधांत [बाल अधिकारों पर अभसिमय](#) पर आधारति हैं और मौजूदा परिचालन दशान-नरिदेशों तथा रूपरेखाओं द्वारा सूचति कयि जाते हैं।
- ये नौ सदिधांत इस प्रकार हैं:
 - अधिकार-आधारति दृष्टिकोण
 - बच्चे के सर्वोत्तम हति
 - जवाबदेही
 - जागरूकता और नरिणय लेने में भागीदारी
 - पारवारिक एकता
 - रक्षा, सुरक्षा और संरक्षण

- शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच
- गैर भेदभाव
- राष्ट्रीयता

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय:

- वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर बाल अधिकारों का अभिसमय अपनाया गया।
- अभिसमय के तहत 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में मान्यता दी जाती है।
- यह अभिसमय प्रत्येक बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है।
 - इसमें शिक्षा का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, बलात्कार एवं यौन शोषण सहित मानसिक या शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार जैसे वषिय शामिल हैं।
- यह दुनिया की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मानवाधिकार संधि है।

दशा-नरिदेशों की आवश्यकता:

- जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आगे बढ़ने वाले बच्चों की ज़रूरतों और अधिकारों को संबोधित करने के लिये वर्तमान में कोई वैश्विक नीतित्त ढाँचा नहीं है।
 - जहाँ बच्चों से संबंधित प्रवास नीतियाँ मौजूद हैं, वे जलवायु और पर्यावरणीय कारकों पर वचिर नहीं करते हैं, और जहाँ जलवायु परिवर्तन से संबंधित नीतियाँ वदियमान हैं, वे आमतौर पर बच्चों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।
- जलवायु आपातकाल का मानव गतशीलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है और आगे भी इसकी संभावना वदियमान है।
 - इसका प्रभाव हमारे समुदायों के वशिष वर्गों जैसे कबच्चों पर सबसे गंभीर होगा।
 - ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली नीतियों को वकिसति करने के लिये राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज समूहों हेतु एक रूपरेखा के रूप में काम करेंगे।

जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव:

- बच्चों का जलवायु जोखमि सूचकांक:
 - यह बच्चों के आवश्यक सेवाओं तक पहुँच के आधार पर जलवायु और पर्यावरणीय आपदाओं, जैसे कचक्रवात और हीटवेव के साथ-साथ उन आपदाओं के प्रती उनकी भेद्यता के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है।
 - यह बच्चों के दृष्टिकोण से जलवायु जोखमि का पहला व्यापक वशिलेषण है।
- नोट्रे डेम ग्लोबल एडाप्टेशन इनशिष्टिवि (ND-GAIN) इंडेक्स:
 - सूचकांक से पता चलता है कबच्चे जलवायु परिवर्तन का परणाम भुगतते हैं क्योंकि यह उनके अस्तत्व, सुरक्षा, वकिस और भागीदारी के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।
 - बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के अन्य संभावित प्रभाव में अनाथ होना, तस्करी, बाल शर्म, शिक्षा और वकिस के अवसरों की हानि, परिवार से अलग होना, बेघर होना, भीख माँगना, आघात, भावनात्मक व्यवधान, बीमारियाँ आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- जबकनिए ढाँचे में नए कानूनी दायत्व शामिल नहीं हैं, वे प्रमुख सदिधांतों को शामिल करते हैं और उनका लाभ उठाते हैं जनिकी पहले ही अंतरराष्ट्रीय कानून में पुष्टी की जा चुकी है, इसे दुनिया भर की सरकारों द्वारा अपनाया गया है।
- इसके अलावा दुनिया भर की सरकारों को मार्गदर्शक सदिधांतों के आलोक में अपनी नीतियों की समीक्षा करने और अभी ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित कर सकें कजलवायु परिवर्तन का सामना करने वाले बच्चों को वर्तमान व भवषिय में संरक्षित कथिा जा सके।
 - इन सदिधांतों द्वारा सूचित समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक साथ काम कर सरकारें, नागरिक समाज और अंतरराष्ट्रीय संगठन इस कदम पर बच्चों के अधिकारों और कल्याण की बेहतर रक्षा कर सकते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न:

Q. बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिर कीजयि: (2010)

1. वकिस का अधिकार
2. अभवियक्तिका अधिकार
3. मनोरंजन का अधिकार

उपर्युक्त में से कौन-सा/से बच्चे का अधिकार है/हैं?

(a) केवल 1

- (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

व्याख्या:

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने 1946 में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनसिफ) की स्थापना करके बाल अधिकारों के महत्त्व को घोषित करने की दशा में अपना पहला कदम उठाया। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया, जिससे यह बच्चों की सुरक्षा की आवश्यकता को पहचानने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ बन गया।
- बाल अधिकारों पर विशेष रूप से केंद्रित संयुक्त राष्ट्र का पहला दस्तावेज़ बाल अधिकारों की घोषणा था, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ होने के बजाय यह सरकारों के लिये आचरण के नैतिक मार्गदर्शक की तरह था। यह 1989 तक नहीं था कि वैश्विक समुदाय ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया, जिससे यह बाल अधिकारों से संबंधित पहला अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ बन गया।
- कन्वेंशन, जो 2 सितंबर 1990 को लागू हुआ, में जीवन के अधिकार, विकास का अधिकार, खेल और मनोरंजक गतिविधियों में संलग्न होने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, भागीदारी का अधिकार, अभिव्यक्ति सहित बाल अधिकारों की विभिन्न श्रेणियों को शामिल करते हुए 54 अनुच्छेद शामिल हैं। अतः 1, 2 और 3 सही हैं।

अतः विकल्प D सही उत्तर है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/guidelines-un-guidelines-for-displaced-children>

